न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 63/2017 एफएसएस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता मैसर्स खण्डेलवाल किराना स्टोर, मैन मार्केट, मानपुर जिला दौसा।
2. श्री महेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री श्रवण लाल अग्रवाल मैसर्स हनुमान ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई, दौसा। निवासी हॉस्पीटल रोड, बांदीकुई दौसा।
3. श्री सुशिल कुमार जैन निवासी 84 नन्दपुरी कॉलोनी, जयपुर। मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस, 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर। भागीदार।
4. अनिता दुसाद निवासी 4/204 कृष्णा कृपा अपार्टमेन्ट, शास्त्री नगर, जयपुर। मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर। भागीदार।
5. सिखा धामाणी ई/301—302, एसडीसी ग्रीन पार्क, राजा पार्क, जयपुर। मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर। भागीदार।
6. मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर निर्माता फर्म।

—अभियुक्तगण —

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 स्वयं उपस्थित।
: श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 लगा0 6 उप0

—: आदेश :— दिनांक 28.2.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.1.2017 को सांय 10.30 बजे मैसर्स खण्डेलवाल किराना स्टोर, मैन मार्केट, मानपुर, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी दाउजी का चौक मैन बाजार मानपुर तहसील सिकराय जिला दौसा विक्रेता मालिक का होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ का रजिस्ट्रेशन न होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 810 ग्राम पैकिंग में पैक 20 बोतल सरसो तेल (उडान) एक गत्ते के कार्टून में आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से (4 बोतल **X** 810 ग्राम) सरसो तेल (उडान) नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 360 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ही हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा सरसों तेल (उडान) की बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेटकर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड व सीरियल नम्बर ए.जी.–1559 गोंद से उपर से नीचे चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से सील चपडी उपर नीचे व दोनो साइडो से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये करवाकर स्वयं व गवाहान ने हस्ताक्षर कर चारो सीलबंद बोतलों को अपने कब्जे में किया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकार उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूना का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट तथा फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री जयसिंह यादव एफएसओ मुख्यालय द्वारा दिनांक 18.1.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये। जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.1.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.1.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (उडान) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस. / 70 / एक्ट / 2017 / 135 दिनांक 2.2.2017 डी.ओ. एवं सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (उडान) का नमूना सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया हैं। जो एफएसएसए नियम 2011 की धारा 26

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करे ।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई । खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 लगायत 6 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 लगायत 6 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि परिवादी द्वारा उक्त परिवाद अप्रार्थीगण के विरूद्ध मात्र अपने आंकडे पूर्ण करने की गरज से झूंठा पेश किया है। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद में वर्णित सैम्पल जिन बोतलों में लिया वो बोतल न तो साफ थी और न ही सूखी थी। परिवादी द्वारा जो सैम्पल लिया वह गंदी बोतल में लेने के कारण ही नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण सं 1 व 2 को निर्माता फर्म की ओर से ही माल सप्लाई किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावे अथवा कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./70/एक्ट/2017/135 दिनांक 2.2.2017 के अनुसार उक्त खाद्य उत्पाद सरसो तेल (उडान) का नमूना सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया हैं। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (उडान) सब स्टैण्डर्ड का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री सुशिल कुमार जैन निवासी 84 नन्दपुरी कॉलोनी, जयपुर, अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 श्रीमति अनिता दुसाद निवासी 4/204 कुष्णा कृपा अपार्टमेन्ट, शास्त्री नगर, जयपुर, अप्रार्थी अभियुक्त सं0 5 श्रीमति सिखा धामाणी ई/301–302, एसडीसी ग्रीन पार्क, राजा पार्क, जयपुर एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं0 6 मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर निर्माता फर्म पर 8000/–(अक्षरे आठ हजार) रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 28.2.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/8383-90

दिनांकः– 8.3 .2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।

2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को भेजकर लेख है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को समय–समय पर खाद्य पदार्थो की जांच हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करे।
3. श्री संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता मैसर्स खण्डेलवाल किराना स्टोर, मैन मार्केट, मानपुर जिला दौसा।
4. श्री महेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री श्रवण लाल अग्रवाल मैसर्स हनुमान ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, सिकन्दरा रोड, बांदीकुई, दौसा। निवासी हॉस्पीटल रोड, बांदीकुई दौसा।
5. श्री सुशिल कुमार जैन निवासी 84 नन्दपुरी कॉलोनी, जयपुर। मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस, 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर। भागीदार।
6. अनिता दुसाद निवासी 4/204 कृष्णा कृपा अपार्टमेन्ट, शास्त्री नगर, जयपुर। मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर। भागीदार।
7. सिखा धामाणी ई/301–302, एसडीसी ग्रीन पार्क, राजा पार्क, जयपुर। मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर। भागीदार।
8. मैसर्स रास फूड प्रोडक्टस 245, कैलाश नथ भट्ट की हवेली, खुंटेटो का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर निर्माता फर्म।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट,दौसा